

बिहार सरकार  
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय  
गृह विभाग ।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,  
महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,  
केन्द्रीय कारा, गया।

पटना, दिनांक 8/3/2016

विषय:- मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं0 22, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0001 केन्द्रीय जेल के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु चिकित्सा प्रतिपूर्ति मद की निकासी हेतु ₹ 52,000 (बावन हजार रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

विपत्र कोड-N-2056001010001

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/ बी0एस0जी0-22/ 2015-295/वि0 दिनांक 24.03.2015, ब17/बी0एस0जी0-05/2015-396/वि0 दिनांक 24.04.2015, पत्र संख्या-एम-4- 09/2014/ 5294 दिनांक-17.06.2015 एवं ज्ञाप संख्या-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 तथा अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया के पत्रांक- 778 दिनांक-28.02.2016 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015-16 हेतु निम्नांकित रूप से आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र0	कारा का नाम	कुट संख्या एवं मद का नाम	पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	केन्द्रीय कारा, गया	06 01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	33,000	52,000	85,000	(पचासी हजार रुपये मात्र)
कुल योग			33,000	52,000	85,000	(पचासी हजार रुपये मात्र)

(बावन हजार रुपये मात्र)

2. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। उक्त आवंटित राशि की निकासी अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, गया के पत्रांक-778 दिनांक-28.02.2016 से प्राप्त अधियाचना के आलोक में ही किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

3. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष- 101 जेल, उपशीर्ष- 0001 केन्द्रीय जेल के तहत होगा। काराधीक्षक को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड- एन-2056001010001 एवं अंकित कुट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी0भी0 नं0 के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(के0)-01-04/15.....1०5

पटना, दिनांक ३/३/2016

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(के0)-01-04/15.....1०5

पटना, दिनांक ३/३/2016

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(के0)-01-04/15.....1०5

पटना, दिनांक ३/३/2016

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया एवं जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(के0)-01-04/15.....1०5

पटना, दिनांक ३/३/2016

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

महानिरीक्षक,  
कारा एवं सुधार सेवाएँ  
बिहार, पटना।